RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
दिसंबर
05
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

By Ankit Avasthi Sir

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 / The Banking Laws (Amendment) Bill, 2024

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में "बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024" पारित किया गया।

- यह विधेयक देश के बैंकिंग कानूनों में बड़े और महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखता है।
- इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप बनाना है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में प्रमुख):

1. **नॉमिनी की संख्या में वृद्धि (Increase in the number of nominees):**
   - बैंक खातों में नॉमिनी (Nominee) व्यक्तियों की अधिकतम सीमा को मौजूदा 1 से बढ़ाकर 4 कर सकेंगे।
2. **'महत्वपूर्ण हित' की परिभाषा में बदलाव (Change in the definition of "Substantial Interest"):**
   - निदेशक मंडल के लिए 'महत्वपूर्ण हित' (Substantial Interest) की परिभाषा में बदलाव करते हुए, ₹5 लाख की मौजूदा सीमा को ₹2 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव। यह सीमा लगभग 60 साल पहले तय की गई थी।
3. **सांविधिक ऑडिटरों के वेतन में लचीलापन (Flexibility in salaries of statutory auditors):**
   - बैंकों को सांविधिक ऑडिटरों (Statutory Auditors) के वेतन निर्धारण में अधिक लचीलापन देने का प्रावधान।
4. **रिपोर्टिंग तिथियों में बदलाव (Changes in reporting dates):**
   - बैंकों की रिपोर्टिंग तिथियों को हर महीने की 15वीं और अंतिम तारीख पर तय करने का प्रस्ताव, जो वर्तमान में दूसरे और चौथे शुक्रवार को होती है।

अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश (Introduced in Lok Sabha in August 2024):

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। इसकी घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग गवर्नेंस को सुधारना और निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करना है। यह मौजूदा कानूनों में संशोधन करके बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाएगा।

संशोधन का उद्देश्य (Purpose of the Amendment):

- बैंकिंग गवर्नेंस में सुधार लाना।
- निवेशकों के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना।
- बैंकिंग क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों को अद्यतन और सुसंगत बनाना।

मौजूदा कानूनों में विशेष :

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
3. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
4. 1970 और 1980 के बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम

बैंकिंग कानूनों में नए संशोधन विधेयक के मुख्य बदलाव:

1. **विस्तारित नामांकन प्रक्रिया:**
   - वर्तमान व्यवस्था: बैंक खाते में केवल एक ही नामांकित व्यक्ति हो सकता है।
   - नए प्रावधान: अब चार नामांकित व्यक्ति हो सकते हैं, जो एक साथ या क्रमबद्ध तरीके से नामांकित किए जा सकते हैं। यदि एक नामांकित व्यक्ति संपत्ति का दावा नहीं कर सकता, तो अगला व्यक्ति दावा कर सकता है।
2. **अविकसित संपत्तियों का IEPF में हस्तांतरण:**
   - वर्तमान व्यवस्था: अविकसित लाभांश, शेयर या बांड नियमित रूप से नहीं हस्तांतरित होते।
   - नए प्रावधान: सात साल तक अविकसित संपत्तियां IEPF में जमा की जाएंगी, और व्यक्ति उन्हें वापस पा सकते हैं।
3. **'महत्वपूर्ण हित' की नई परिभाषा:**
   - वर्तमान सीमा: ₹5 लाख तक के शेयरों में महत्वपूर्ण हित।
   - नए प्रावधान: यह सीमा बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है।
4. **ऑडिटर मुआवजे में लचीलापन:**
   - वर्तमान नियम: ऑडिटर का मुआवजा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होता है।
   - नए प्रावधान: बैंकों को बाजार की स्थिति के अनुसार ऑडिटर के मुआवजे में लचीलापन दिया गया है।
5. **रिपोर्टिंग तिथियों का संशोधन:**
   - वर्तमान नियम: रिपोर्ट्स RBI को विशिष्ट शुक्रवारों को सौंपी जाती हैं।
   - नए प्रावधान: रिपोर्ट्स पखवाड़े, महीने या तिमाही के अंत में दी जा सकेंगी, ताकि यह वित्तीय चक्र के अनुसार बेहतर ढंग से मेल खा सके।
6. **सहकारी बैंकों के लिए संशोधन:** निदेशकों का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है।
   - बोर्ड सदस्यता: केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में भी सेवा दे सकते हैं, जिससे सहयोग बढ़ेगा।

प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट / Places of Worship Act

संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे और विवाद के बाद पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम- 1991 (Places of Worship Act- 1991) को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991:

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का उद्देश्य पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति को संरक्षित करना और किसी भी धार्मिक संप्रदाय के भीतर या अन्य संप्रदायों के बीच उनके स्वरूप में परिवर्तन को रोकना है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:

1. **धारा 3:**
   - किसी भी पूजा स्थल को पूर्ण या आंशिक रूप से एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे में परिवर्तित करने पर रोक लगाती है।
2. **धारा 4(1):**
   - 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति जिस रूप में थी, उसे अपरिवर्तित रखना अनिवार्य है।
3. **धारा 4(2):**
   - 15 अगस्त 1947 से पहले पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति से संबंधित सभी कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। इसके साथ ही, नए मामलों को दर्ज करने पर भी रोक लगाई गई है।
4. **धारा 5 (अपवाद):**
   - अयोध्या (बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि) विवाद को इस अधिनियम से छूट दी गई है।
   - इसके अतिरिक्त, ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को भी अधिनियम से छूट प्राप्त है जो पुरातात्त्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत आते हैं।
   - ऐसे मामले जो पहले ही निपट चुके हैं या जिनका समाधान आपसी सहमति से हो चुका है।
   - अधिनियम के लागू होने से पहले हुए परिवर्तन।
5. **धारा 6 (दंड):**
   - पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप में बदलाव का प्रयास करने पर तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

उच्चतम न्यायालय की व्याख्या:

मई 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति की जांच की जा सकती है, लेकिन ऐसी जांच से उनकी धार्मिक पहचान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 से जुड़ी चिंताएं:

1. **न्यायिक समीक्षा की सीमा:** अधिनियम न्यायालय की समीक्षा को सीमित करता है, जिससे विवाद निपटाने में न्यायपालिका की भूमिका कमजोर हो सकती है।
2. **15 अगस्त 1947 की सीमा:** अधिनियम में यह तिथि मनमानी और अनुचित मानी गई है, जिससे कुछ धार्मिक समुदायों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
3. **कानूनी चुनौतियां:** अधिनियम पर कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि यह हिंदू, जैन, बौद्ध, और सिख समुदायों को उनके ऐतिहासिक स्थलों को पुन: प्राप्त करने से रोकता है।
4. **चुनिंदा मामलों में छूट:** राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को अधिनियम से छूट देने पर असमानता और भेदभाव के आरोप लगे हैं।
5. **सांप्रदायिक तनाव:** अधिनियम से जुड़े विवाद सांप्रदायिक मुद्दों को बढ़ा सकते हैं, खासकर संवेदनशील स्थलों पर।
6. **धर्मनिरपेक्षता पर प्रभाव:** आलोचकों का मानना है कि यह अधिनियम कुछ धार्मिक समुदायों के दावों को दबाकर भारत की धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर सकता है।

शाही जामा मस्जिद विवाद:

1. **विवाद की पृष्ठभूमि:** याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संभल की 16वीं सदी की शाही जामा मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर (हिंदू मंदिर) के स्थान पर बनाई गई थी।
   - मस्जिद का निर्माण 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर हिंदू बेग ने करवाया था।
   - इसकी वास्तुकला और इतिहास को लेकर मंदिर से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है।
2. **न्यायिक हस्तक्षेप:** संभल जिला अदालत ने साइट का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया।
   - दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा हुई।
3. **कानूनी स्थिति:**मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत संरक्षित स्मारक है।
   - इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है।
4. **पूजा स्थल अधिनियम, 1991:**
   - यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने की बात करता है।
   - मस्जिद के धार्मिक स्वरूप में बदलाव की मांग अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देती है।

लद्दाख में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण / Reservation for local residents in Ladakh

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख में स्थानीय निवासियों के लिए 95% आरक्षण, पहाड़ी परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण और भूमि व संस्कृति संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है।

मुख्य बिंदु:

1. **स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण:**
   - सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षण।
   - पर्वतीय परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण।
2. **संवैधानिक संरक्षण:**
   - लद्दाख की भूमि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान पर काम।
   - उर्दू और भोटी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा घोषित करने का निर्णय।
3. **लंबित कानूनों की समीक्षा:**
   - स्थानीय मुद्दों को सुलझाने के लिए 22 लंबित कानूनों की समीक्षा।
4. **पांच वर्षों का विरोध:**
   - अनुच्छेद 370 के तहत संवैधानिक संरक्षण खोने के बाद से लद्दाख में विरोध प्रदर्शन।
5. **सार्वजनिक सेवा आयोग:**
   - लद्दाख में अलग सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित करना संभव नहीं, क्योंकि यह विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेश है।
6. **भूमि सुरक्षा:**
   - लद्दाख के लोगों की जमीन से जुड़ी चिंताओं को हल करने की प्रतिबद्धता।

छठे अनुसूची पर चर्चा:

- अगली बैठक 15 जनवरी को होगी, जिसमें लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने पर चर्चा की जाएगी।

पिछले पांच वर्षों से लद्दाख की चार प्रमुख मांगें:

- लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए।
- लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे उसे जनजातीय दर्जा मिले।
- स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
- लेह और कारगिल के लिए एक-एक संसदीय सीट आवंटित की जाए।

आर्टिकल 370:

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया:

- जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर उसका विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया।
- इसके बाद जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया:

- लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

आरक्षण के पक्ष में तर्क

- क्षेत्रीय असमानताएं दूर करना: पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार अवसरों का सृजन।
- प्रवासन में कमी: स्थानीय रोजगार से शहरी भीड़भाड़ घटती है।
- स्थानीय प्रतिभा का विकास: कुशल कार्यबल तैयार होता है।
- आर्थिक विकास: पिछड़े वर्गों के उत्थान से समग्र विकास।
- संविधानिक समर्थन: सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का संवैधानिक उत्थान।
- सरकारी सेवाओं में सुधार: स्थानीय प्रतिनिधित्व से बेहतर सेवा वितरण।

आरक्षण के विरोध में तर्क

- मेधावी प्रणाली पर प्रभाव: कम योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सकता है।
- क्षेत्रवाद को बढ़ावा: आरक्षण से क्षेत्रीय द्वेष और असमानता।
- राष्ट्रीय एकता में विघ्न: राज्यों के बीच भेदभाव और बंटवारा बढ़ सकता है।

लद्दाख की छठी अनुसूची में समावेश की मांग:

1. राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता
2. स्थानीय रोजगार की कमी
3. संस्कृतिक पहचान का संरक्षण
4. पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण
5. डोमिसाइल नीति में बदलाव
6. लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

सेक्स वर्कर्स को मातृत्व अवकाश / Maternity leave for sex workers

बेल्जियम दुनिया का पहला देश बन गया है जहां सेक्स वर्कर्स को **मातृत्व अवकाश**, बीमार अवकाश, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन का अधिकार मिलेगा। नया कानून 1 दिसंबर से लागू हुआ।

नए कानून के मुख्य बिंदु:

1. **सांसदों का समर्थन**: मई महीने में सांसदों ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए वोट किया।
2. **कानूनी संरक्षण:** नए कानून में सेक्स वर्कर्स को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है।
3. **एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स:** सेक्स वर्कर्स को अब आधिकारिक रूप से नौकरी के अनुबंध (Employment Contracts) दिए जाएंगे।
4. **दुर्व्यवहार और शोषण की रोकथाम:** कानून को सेक्स वर्कर्स के खिलाफ दुर्व्यवहार और शोषण रोकने का प्रयास माना जा रहा है।
5. **सेक्सुअल अधिकार:**
    - सेक्सुअल पार्टनर को मना करने या सीमित एक्टिविटी करने का अधिकार।
    - किसी भी वक्त सेक्सुअल एक्ट रोकने का अधिकार, जिससे उन्हें काम से नहीं निकाला जाएगा।
6. **सुरक्षा उपाय:**
    - काम की जगह पर पैनिक बटन उपलब्ध होंगे।
    - सफाई और सुरक्षा के लिए साफ चादर, पानी, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स अनिवार्य।

दुनिया में सेक्स वर्कर्स का आँकड़ा:

- **कुल सेक्स वर्कर्स (वैश्विक):** 4.2 करोड़।
- **देशवार आंकड़े:**
    - भारत: 6.57 लाख ।
    - नाइजीरिया: 4.10 लाख।
    - ब्राज़ील: 14 लाख।
    - मैक्सिको: 2.40 लाख।
    - इंडोनेशिया: 2.26 लाख।

वेश्यावृत्ति की स्थिति:

1. **वेश्यावृत्ति वैध:**
    - भारत, जर्मनी सहित 53 देशों में वेश्यावृत्ति वैध है।
2. **सीमित वैधता:**
    - अमेरिका और फ्रांस सहित 12 देशों में वेश्यावृत्ति सीमित तरीके से वैध है।
3. **वेश्यावृत्ति अवैध:**
    - चीन और सऊदी अरब सहित 35 देशों में वेश्यावृत्ति पूरी तरह अवैध है।

वेश्यावृत्ति के मुख्य कारण:

1. **गरीबी:** आर्थिक तंगी और जीवन यापन के साधनों की कमी।
2. **अशिक्षा:** शिक्षा और जागरूकता की कमी।
3. **बेरोजगारी:** रोजगार के सीमित अवसर।
4. **मानसिक शोषण:** बचपन में यौन शोषण या पारिवारिक तनाव।
5. **मानव तस्करी:** जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला जाना।
6. **सामाजिक असमानता:** महिलाओं के प्रति भेदभाव और सीमित अधिकार।

भारत में मातृत्व अवकाश:

1. **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961**: यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले और बाद में सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान करता है।
2. **2017 संशोधन**:
    - महिला कर्मचारियों के लिए पहले दो बच्चों तक मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया।
    - यदि किसी महिला के दो से अधिक बच्चे हों, तो तीसरे और उसके बाद के बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह तक सीमित है।
3. **महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण**: यह कानून मातृत्व और अन्य लाभों के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य और रोजगार को सुरक्षित रखने में सहायक है।

रेल संशोधन विधेयक 2024 / Railway Amendment Bill 2024

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में 'रेल संशोधन विधेयक 2024' प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य 1989 के रेलवे अधिनियम और 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत करना है, जिससे रेलवे क्षेत्र में सुधार और बेहतर प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया जा सके।

रेल संशोधन विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधान:

1. **कानूनी ढांचे को सरल बनाना**:
   - 1989 के रेलवे अधिनियम और 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को एकीकृत किया जाएगा।
   - दो अलग-अलग कानूनों की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी।
2. **स्वतंत्र नियामक की स्थापना**:
   - रेलवे के बेहतर संचालन के लिए एक स्वतंत्र नियामक (Independent Regulator) की स्थापना का प्रस्ताव।
3. **क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक अधिकार**:
   - रेलवे के ज़ोनल कार्यालयों को अधिक स्वायत्तता और शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
4. **संगठनात्मक संरचना में सुधार**:
   - वर्तमान रेलवे संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखते हुए इसे अधिक कुशल बनाने के उपाय।
5. **वित्तीय स्थिति में सुधार**:
   - रेलवे के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ सुझाव शामिल:
     - लेखांकन विधियों में बदलाव।
     - यात्रियों के किरायों को व्यावहारिक बनाना।
     - माल ढुलाई सेवाओं में विविधता लाना।
     - निजी साझेदारी से राजस्व में वृद्धि।

रेल संशोधन विधेयक, 2024 का महत्व:

1. **प्रशासनिक सुधार:** रेलवे बोर्ड को वैधानिक दर्जा देकर कार्यक्षमता और स्वायत्तता में वृद्धि।
2. **कानूनी सरलता:** कानूनी ढांचे का सरलीकरण, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो।
3. **संतुलित क्षेत्रीय विकास:** पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से सरकार की क्षेत्रीय विकास की प्रतिबद्धता स्पष्ट।
4. **संचालन में सुधार:** रेलवे के कार्य संचालन को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
5. **शासन सुधार:** भारतीय रेलवे की प्रशासनिक और परिचालन संरचना में सुधार लाने के लिए प्रगतिशील पहल।

भारतीय रेलवे: एक संक्षिप्त परिचय:

स्थापना और इतिहास:

- भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में हुई थी।
- भारत की पहली रेलगाड़ी 21 मील की दूरी पर मुंबई से ठाणे के बीच चली।
- यह दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है।
- 2050 तक, भारत वैश्विक रेल गतिविधियों में 40% हिस्सेदारी का अनुमान रखता है।

संरचना और जिम्मेदारियाँ:

रेल मंत्रालय:

- **कार्य:**
  1. रेलवे नीति बनाना और रणनीतिक दिशा देना।
  2. बजट आवंटन का प्रबंधन।
  3. बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स और विस्तार योजनाओं को मंजूरी देना।
  4. रेलवे बोर्ड को नीति संबंधी मार्गदर्शन देना।
- **2024-25 बजट:**
  - ₹2.52 लाख करोड़ का पूंजीगत खर्च आवंटित।
  - रेलवे क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अनुमति।

रेलवे बोर्ड:

- **कार्य:**
  1. रेल मंत्रालय की नीतियों को लागू करना।
  2. रेलवे के दैनिक संचालन की निगरानी।
  3. नेटवर्क विकास, आधुनिकीकरण और सुरक्षा योजनाएं बनाना।
  4. क्षेत्रीय रेलों को निर्देश और दिशानिर्देश जारी करना।

क्षेत्रीय रेलवे (जोन):

- **संख्या:**
  - 2024 तक 17 ज़ोन हैं।
  - 18वां ज़ोन (साउथ कोस्ट रेलवे) प्रस्तावित।
- **संरचना:**
  - ज़ोन को डिवीज़न में विभाजित किया जाता है।
  - हर डिवीज़न का प्रबंधन डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) करते हैं।

क्षमादान की शक्ति / Pardoning Power

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन को टैक्स और हथियार मामलों में पूर्ण माफी दी।

- हंटर बाइडेन अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामले में सजा का सामना कर रहे थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान प्रक्रिया:

1. **संविधानिक प्रावधान**:
   - अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2, खंड 2 के तहत राष्ट्रपति को संघीय आपराधिक मामलों में क्षमादान देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह महाभियोग के मामलों पर लागू नहीं होता।
2. **आपराधिक रिकॉर्ड का प्रभाव**:
   - क्षमादान आपराधिक रिकॉर्ड को समाप्त नहीं करता, लेकिन दंड को कम करता है और कुछ अधिकारों को बहाल करता है।
3. **विवेकाधीन अधिकार**:
   - यह अधिकार राष्ट्रपति को एकतरफा निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती।

अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा क्षमादान की परंपरा:

अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देने की प्रक्रिया एक लंबी और ऐतिहासिक परंपरा है। इसका उपयोग दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के राष्ट्रपतियों ने किया है।

1. **जो बाइडन के क्षमादान**:
   - डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने कार्यकाल में अब तक कुल 26 क्षमादान दिए हैं।
2. **डोनाल्ड ट्रंप के क्षमादान**:
   - पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 237 क्षमादान जारी किए। इसमें 143 सज़ा माफ़ी और 94 सज़ा में कटौती शामिल थी।
3. **बराक ओबामा के क्षमादान**:
   - डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने 8 साल के कार्यकाल में 1,927 क्षमादान दिए। इसमें 1,715 सज़ा में बदलाव और 212 सज़ा माफ़ी शामिल थीं।
4. **बिल क्लिंटन का क्षमादान**:
   - 2001 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने सौतेले भाई रोजर क्लिंटन को कोकेन से जुड़े 1985 के अपराध में माफ़ी दी।

भारतीय प्रणाली में क्षमादान का अधिकार:

1. **अनुच्छेद 72 और 161:**
   - भारतीय संविधान के तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान देने या सजा कम करने का अधिकार है।
   - यह अधिकार मंत्रिपरिषद की सलाह पर दिया जाता है।
2. **क्षमादान का प्रभाव:**
   - भारत में क्षमादान से अपराधी को सजा, दोषसिद्धि और अयोग्यता से पूरी तरह मुक्त किया जाता है।
3. **क्षमता का दायरा:**
   - राष्ट्रपति का अधिकार (अनुच्छेद 72): राष्ट्रपति संघीय अपराधों, मृत्यु दंड और केंद्रीय कानूनों से जुड़े मामलों में क्षमादान, सजा टालने या कम करने का अधिकार रखते हैं।
   - राज्यपाल का अधिकार (अनुच्छेद 161): राज्यपाल राज्य के अपराधों और राज्य की कार्यकारी शक्ति के तहत आने वाले मामलों में समान अधिकार रखते हैं।

क्षमादान शक्ति से जुड़ी चिंताएँ:

1. **मनमानी (Arbitrariness)**:
   - आलोचकों का मानना है कि क्षमादान का अधिकार मनमानी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, जिससे पक्षपाती या राजनीतिक पूर्वाग्रह का आभास होता है। यह असमानता और असंवेदनशीलता की भावना को जन्म देता है।
2. **पारदर्शिता की कमी (Lack of Transparency)**:
   - क्षमादान देने के निर्णय की प्रक्रिया अक्सर अस्पष्ट होती है। इससे पारदर्शिता की कमी महसूस होती है और जनता में इसके बारे में अधिक जानकारी और जवाबदेही की आवश्यकता होती है।
3. **न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव (Impact on Justice System)**:
   - क्षमादान न्यायपालिका की साख को प्रभावित कर सकता है। यह कानून के तहत समान न्याय के सिद्धांत से विपरीत हो सकता है, जिससे न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।

तटीय शिपिंग बिल / Coastal Shipping Bill

हाल ही में, केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने 2024 का तटीय शिपिंग बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य तटीय व्यापार को बढ़ावा देना और भारतीय नागरिकों द्वारा स्वामित्व और संचालन किए गए भारतीय ध्वजवाहक जहाजों की भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

बिल की मुख्य विशेषताएँ:

- इस बिल का उद्देश्य विदेशी जहाजों द्वारा बिना लाइसेंस के तटीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना है।
- यह कुछ विशेष शर्तों के तहत आंतरिक जलमार्ग जहाजों को भागीदारी की अनुमति देता है।
- निदेशक-जनरल क्रू सदस्यता और जहाज के निर्माण के आधार पर लाइसेंस जारी करेंगे।
- इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और घरेलू शिपबिल्डिंग सेक्टर को मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि:

- **तटीय शिपिंग**: तटीय शिपिंग में माल और यात्रियों को तटरेखा (लगभग 7,517 किलोमीटर) के भीतर, क्षेत्रीय जल में, ले जाना शामिल है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आर्थिक वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- **बंदरगाहों का प्रबंधन**:
  - प्रमुख बंदरगाह: केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।
  - छोटे/मध्यम बंदरगाह: संबंधित समुद्री राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किए जाते हैं।
- **अप्रचलित कानूनों का विनियमन**:
  - तटीय शिपिंग क्षेत्र को पुराने कानूनों के तहत विनियमित किया गया है, जैसे:
    - कोस्टिंग वेसल अधिनियम, 1838
    - मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958
  - इन कानूनों में समानता और अद्यतन प्रावधानों का अभाव है।

Coastal Shipping क्या है?

तटीय शिपिंग का मतलब है देश की सीमाओं के भीतर समुद्र के माध्यम से माल और यात्रियों का परिवहन करना। आमतौर पर इसका उपयोग छोटे जहाजों (जिन्हें कोस्टर्स कहा जाता है) के द्वारा किया जाता है। इसे शॉर्ट सी शिपिंग भी कहा जाता है।

महत्व:

- **तटीय राज्यों को जोड़ना**: तटीय क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद करता है।
- **क्षेत्रीय आर्थिक विकास**: क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में योगदान**: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत में तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए पहल

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- ✓ नीतिगत सुधार
- ✓ ढांचागत निवेश (इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट)
- ✓ तटीय मार्गों के उपयोग पर प्रोत्साहन
- ✓ प्राथमिक बर्थिंग नीति (Priority Berthing Policy)
- ✓ ग्रीन चैनल क्लीयरेंस
- ✓ जहाज और माल शुल्क (वेसल और कार्गो चार्ज) पर छूट
- ✓ बंकर ईंधन पर GST में कमी

तटीय शिपिंग का महत्व

1. **ऊर्जा**-कुशल और किफायती परिवहन:
   - यह परिवहन का एक ऐसा साधन है जो कम ऊर्जा की खपत करता है और लागत प्रभावी है, खासकर भारी माल (बुल्क कार्गो) के लिए।
2. **सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम करना**:
   - तटीय शिपिंग सड़क और रेल नेटवर्क पर यातायात का बोझ कम करती है, जिससे भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है।
3. **पर्यावरण पर कम प्रभाव**:
   - यह पारंपरिक परिवहन साधनों की तुलना में अधिक पर्यावरण-अनुकूल है।
4. **राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान**:
   - आपातकालीन स्थितियों में रणनीतिक और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !

RRB NTPC
TEST SERIES
100+ Mock Test
78 Sectional Test
40+ years PYPs
60+ Current affairs
TEST
Only
99
Per
Year
Buy Now

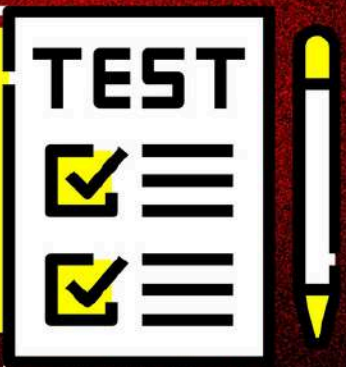

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !